न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर

———————

पीठासीन अधिकारी — नरेन्द्र कुमार मीना, आर०जे०एस०
नियमित फौज0 प्रकरण संख्या — 285/2016 (C-I-S-No-2466/2016)
एफआईआर नंबर — 101/2016 थाना नारायणपुर

राजस्थान राज्य ब ना म मनोज

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

भाग प्रथम
क

परिवादी	विश्वनाथ शर्मा पुत्र आनन्द स्वरूप निवासी श्याम पार्क के पीछे दौसा जिला दौसा
प्रस्तुतकर्ता	श्री मुरलीधर गुर्जर, सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सुरजनपुर थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री के0के0 शर्मा द्वितीय

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	22.09.2016
2.	आरोप विरचित किए गए	30.03.2017
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	30.03.2017
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	08.04.2026
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	08.04.2026
6.	साक्ष्य सफाई पेश की गयी	.....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	10.04.2026
8.	अंतिम निर्णय	10.04.2026

ग
अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त का	गिरफ्तार	जमानत	अभियुक्त पर	दोषसिद्धि	दिये	धारा 428 दं.प्र.

सं.	नाम	ी की तिथि	पर छोड़े जाने की तिथी	आरोप का विवरण	या दोषमुक्त	गए दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	मनोज			धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम			

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	सुरेन्द्र	अनुसंधान अधिकारी
पी0ड0 2	गुजरीमल	मालखाना रजिस्टर
पी0ड0 3	विश्वनाथ शर्मा	परिवादी
पी0ड0 4	खेमचन्द	फर्द, जब्ती शराब, फर्द गिरफ्तारी
पी0ड0 5	दामोदर शर्मा	पंचनामा

ब–बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
————————		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	नक्शा मौका घटनास्थल
2.	प्रदर्श पी–2	फर्द जब्ती देशी मदिरा, प्राप्ति रसीद
3.	प्रदर्श पी–3	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी, एफएसएल रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी–4	आपराधिक रिकॉर्ड
5.	प्रदर्श पी–5	मालखाना रजिस्टर
6.	प्रदर्श पी–6	मजमून रिपोर्ट
7.	प्रदर्श पी–7	मजमून रिपोर्ट
8.	प्रदर्श पी–8	एफआईआर
9.	प्रदर्श पी–9	मजमून रिपोर्ट

।। नि र्ण य ।। दिनांक :– 10.04.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.05.2016 को परिवादी विश्वनाथ थानाधिकारी थाना नारायणपुर ने उपस्थित थाना नारायणपुर होकर एक मजमून रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 इस आशय की पेश की कि दिनांक 23.05.2016 वह मय जाप्ता चालक मुकेश कुमार मय जीप सरकारी के रपट रोज हाल नंबर 616 थाना से रवाना होकर गस्त वा कार्यवाही एक्ट की तलाश करता नारायणपुर कस्बा बाई पास पहुंचा तो मुखबीर खास द्वारा सुचना मिली की एक शब्स श्याम सरोवर के पास कट्टा सफेद में देशी मदिरा रखकर खड़ा है किसी वाहन में जाने के फिराक में है इस पर वह मय जाप्ता के स्याम सरोबर समय 6.20 पीएम पर पहुँचा तो सड़क के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा रखे हुऐ मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा को रोक कर चैक किया तो कट्टा घूमर मार्का की 2 पेटी देशी मदिरा भरी हुई मिला जिसने कुल 96 पव्वा प्लास्टिक के देशी मदिरा के भरे हुऐ हैं। शक्स का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सुरजनपुर थाना नारायणपुर का होना बताया। शक्स से शराब देशी मदिरा को लाने व रखने बाबत वैध लाईसेंस पुछा तो कोई लाईसेंस नही होना बताया मनोज कुमार का देशी मदिरा अवैध रूप से रखना ले जाना धारा 19/54 आबकारी अधिनियम की नियत में पाये जाने पर एक पव्वा बतौर सैम्पल नमूना पेटी से लेकर शील मोहर मौके पर कर माकी सैम्पल नमूला पर व शेष 95 पव्वों को पेटी सहित प्लास्टिक के कट्टा में रखकर शील मोहर कर मार्का ए1 अंकित किया गया व जर्ये फर्द

जप्त कर तहफील पुलिस में लिया गया मनोज कुमार को जर्ये फर्द धारा 19/54 में मौके पर ही गिरफ्तार कर रवाना होकर हाजिर थाना आया जप्तशुदा माल मुताबिक फर्द के जमा मालखाना थाना कराया गया। आरोपी को बाद जामा तलाशी के बंद हवालात थाना किया जाकर संतरी को संभलाया गया। आरोपी मनोज कुमार के आँख के उपर नीलगू निशान है, का मैडिकल मुआयना पृथक से कराया जावेगा तथा कार्यवाही पर मु0नं0 101/16 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में पंजिबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नारायणपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/16 अन्तर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त मनोज के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. इसके पश्चात् अभियुक्त को अपराध धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम के अपराधों का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो सुन समझकर अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2,3,4 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाने होने का कथन किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.05.2016 को समय करीब 06.20 पीएम या उसके लगभग मौजा श्याम सरोवर के पास, नारायणपुर में आपके अनन्य कब्जे से एक कटटे में से दो पेटी में घूमर ब्रांड देशी शराब के कुल 96 पव्वे देशी मदिरा, बरामद किए, जिनका आपके पास कोई बैध अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त मनोज ने धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

––यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार है?

8. दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर पेश समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम संदेह से परे साबित है। अंत में सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा दौराने बहस प्रमुख रूप से कथन रहा कि सर्वप्रथम पत्रावली पर कोई भी चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं करवाये गये हैं, ना ही मौके पर उपस्थित लोगों को चश्मदीद गवाह के रूप में साक्ष्य सूची में पेश कर परीक्षित करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध सुनिश्चित करने में पूर्णत असफल रहे हैं। अंत में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे अपराध साबित ना होने के आधार पर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

10. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 05 गवाह परीक्षित करवाये गए हैं। गवाह पी.ड. 3 विश्वनाथ, जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि दिनांक 23.05.2016 को वह थानाधिकारी थाना नारायणपुर के पद पर तैनात था। उस दिन जाब्ता कानि खेमचंद, कानि गुरजीमल के साथ मय जीप सरकारी चालक मुकेश कुमार के साथ थाना इलाके में वास्ते करने गश्त व चैकिंग बदमाशान थाना हाजा से समय 5.40 पीएम पर रवाना होकर गश्त करते हुए नारायणपुर बाईपास पहुंचा तो जरिये मुखबिर उसे सूचना मिली कि एक व्यक्ति श्यामसरोवर के पास प्लास्टिक के सफेद कटटे में देशी शराब लेकर खडा है। उक्त सूचना से जाब्ता को अवगत करवाकर मौके पर पहुंचा तो सडक के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक का कटटा हाथ में लिये दिखाई दिया जो जीप सरकारी व पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसका रोककर चैक किया तो कट्टे में घूमर मार्का की दो पेटी देशी मदिरा भरी हुयी मिली जिनमें कुल 96 पव्वे प्लास्टिक के देशी मदिरा के भरे हुए थे। सभी पव्वो के ढक्कन बंद थे। उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सुरजनपुर थाना नारायणपुर होना बताया। मनोज से अपने कब्जे में शराब रखने व लाने बाबत वैध लाइसेंस पूछा तो कोई लाइसेंस होना नही बताया। आसपास स्वतंत्र मौजूद नही होने पर जाब्ते में से खेमचंद व गुरजीमल को गवाह मामूर कर मनोज के कब्जे से मिली घूमर मार्का की 96 पव्वो में से एक पव्वा बतौर नमूना सैंपल निकालकर सील मोहर कर मार्का–ए अंकित किया तथा शेष 95 पव्वो को उन्हीं गत्ता पेटियो में रखकर उसी

प्लास्टिक के कटटे में रखकर सीलमोहर कर मार्का–ए अंकित कर जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 जब्त किया। मुलजिम मनोज का मौके पर ही जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 गिरफतार किया। जब्तशुदा शराब व गिरफतारशुदा मुलजिम के वापस थाना आया। माल जमा मालखाना करवाया। मुलजिम का बंद हवालातू कर सन्तरी को सुपुर्द किया तथा अपनी नकल रपट वापसी पर मुलजिम के विरूद्ध मुकदमा नंबर 101/2016 अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते अनुसंधान सुरेन्द्र सिंह एचसी के जिम्मे की गयी। थाने से उसकी मय जाब्ता की नकल रपट रवानगी प्रदर्श पी–6, नकल रपट वापसी कायमी मुकदमा प्रदर्श पी–7, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–8, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5, नमूना सैंपल जमा कर जमा की रसीद पेश करने वाले वाहक कानि हरभान की नकल रपट वापसी प्रदर्श पी–9 है। अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने उसके बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये थे। बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने मुलजिम मनोज कुमार पुत्र कैलाश उम्र 23 साल निवासी सुरजनपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही उसके सुपुर्द की थी। बाद अवलोकन पत्रावली व बाद प्राप्ति चालानी आदेश उसने मुलजिम मनोज के विरूद्ध चार्जशीट नंबर 53/2016 उपरोक्त धारा में न्यायालय में पेश की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि जब वह गाडी से गया था तो देखा कि सडक के किनारे एक व्यक्ति कटटा लेकर खडा हुआ था जो डोरी से बंधा हुआ था। कटटा सडक के किनारे रखकर खडा हुआ था। वहां आवागमन कम था। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उन्होंने गाडी को रोकी और जाप्ता की मदद से पकडा। जाप्ते में चार व्यक्ति थे। उक्त गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि वक्त घटना आसपास कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था। उक्त गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्लास्टिक के कटटे में जो कार्टून रखे थे वे पैक थे।

11. गवाह पी.ड.2 गुजरीमल जो कि प्रकरण में मौके के गवाह हैं। उक्त गवाह ने अपने न्यायालय में हुए बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 23.05.2016 को वह पुलिस थाना नारायणपुर में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी के साथ वह, कानि खेमचंद मय जीफ सरकारी चालक मुकेश कुमार के साथ शाम 5:40 पीएम पर वास्ते करने गश्त थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए बाईपास पर पहुंचे तो थानाधिकारी को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि श्यामसरोवर के पास एक व्यक्ति सफेद कटटे में देशी मदिरा रखकर किसी वाहन में जाने की फिराक में खड़ा है। थानाधिकारी ने उक्त सूचना से जाब्ते को अवगत करवाया। फिर वे श्यामसरोवर पहुंचे तो एक व्यक्ति सडक के पास प्लास्टिक का कटटा रखे हुए मिला जो पुलिस जीप व जाब्ता को देखकर

कटटे को लेकर भागने लगा तो उसे रोककर चैक किया। कटटे में दो पेटी घूमर मार्का की देशी शराब भरी हुयी थी। प्रत्येक पेटी में 48 पव्वे, कुल 96 पव्वे थे। सभी भरे हुए व सीलशुदा अवस्था में थे। थानाधिकारी ने उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सुरजनपुर होना बताया। जिससे देशी शराब लाने ले जाने व अपने कब्जे में रखने बाबत कोई वैध लाईसेंस पूछा तो कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। मुलजिम के कब्जे से मिले पव्वों में से एक पव्वा बतौर नमूना सैंपल निकालकर सील–मोहर कर मार्का ए अंकित किया व शेष 95 पव्वो को पेटी सहित उसी प्लास्टिक के कटटे में रखकर सील मोहर कर मार्का ए–1 अंकित कर मौके पर ही मदिरा को जरिये फर्द जब्त किया। मुलजिम मनोज कुमार को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफतार किया। फर्दात पर मुलाजमान खेमचंद उसके, मुलजिम मनोज के हस्ताक्षर थानाधिकारी ने करवाकर अपने हस्ताक्षर किये। जब्तशुदा शराब मार्का ए व ए–1 व गिरफतारशुदा मुलजिम के वापस थाना आये। थानाधिकारी ने माल जमा मालखाना करवाकर मुलजिम को बंद हवालात कर अपनी नकल रपट वापसी रोजनामचा पर मुलजिम के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा मौका दूसरे दिन दिनांक 24.05.2016 को उसके व खेमचंद के सामने बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है। फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी 2 व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी 3 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि वे पुलिस की गाडी से गए थे तथा सडक के किनारे एक कटटा रखा हुआ था तथा उपर से रस्सी से बंधा हुआ था। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। यह कहना सही है कि बरामदगी थानाधिकारी ने की थी।

12. गवाह पी.ड.4 खेमचंद जो कि प्रकरण में मौके का गवाह है। उक्त गवाह ने अपने न्यायालय में हुए बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 23.05.2016 को वह थाना नारायणपुर में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी विश्वनाथ के साथ वह, गुरजीमल, चालक मुकेश कुमार मय जीप सरकारी वास्ते करने गस्त ईलाका शाम 05.40 पीएम पर थाने से रवाना हुए थे। गस्त करते हुए नारायणपुर बाईपास पर पहुंचे तो थानाधिकारी को ईतल्ला मिली कि श्यामसरोवर के पास एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक के कटटे में देशी शराब रखकर किसी वाहन के इंतजार में खडा है। थानाधिकारी ने उक्त सूचना से उनको अवगत कराया और मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति सडक के पास प्लास्टिक के कटटे सहित दिखाई दिया जो पुलिस की जीप देखकर भागने लगा जिसको उसने और गुरजीमल ने पकडा और उसके पास मिले कटटे को चैक किया तो उसमें देशी मदिरा मार्का घूमर की दो गत्ता पेटी मिली जिनमें कुल 96 पव्वे प्लास्टिक के भरे हुए मिले। सभी का ढक्कन सील था। थानाधिकारी ने उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो

उसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सूरजनपुर होना बताया। थानाधिकारी ने उससे देशी मदिरा अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस होना पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर उसे व गुरजीमल को गवाह मामुर कर मनोज के कब्जे से मिले देशी शराब के पव्वों में से एक पव्वा बतौर नमुना सील निकालकर सील मोहर कर मार्का ए अंकित किया तथा शेष 95 पव्वों को उन्हीं गत्ता पेटियों में रखकर प्लास्टिक के कटटे में रखकर सील मोहर करके मार्का बी अंकित करके शराब को जर्ये फर्द जब्त किया व मुलजिम मनोज को उसके सामने मौके पर ही जर्ये फर्द गिरफ्तार किया। जप्तशुदा शराब मार्का ए व बी तथा गिरफ्तारशुदा मुलजिम मनोज के वापस थाना आए जहां थानाधिकारी ने माल जमा मालखाना करवाया व मुलजिम को बंद हवालात करवाया तथा मुलजिम के विरूद्ध अपनी वापसी पर मुकदमा दर्ज किया। फर्द जप्ती देशी मदिरा प्रदर्श पी 02, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 हैं। घटना के दूसरे दिन अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 उसके सामने बनाया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि उसने रवानगी की रपट रोजनामचा में डालकर गए थे। जब वे गये तो एक व्यक्ति उन्हें देखकर भागने लगा। भागने वाले व्यक्ति के हुलिये के बारे में थानाधिकारी ने अवगत कराया था। वह स्वयं मुलजिम के पीछे भागा था। मुलजिम को पकडने के बाद मौके पर जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही करने के बाद थाने पर गए थे।

13. गवाह पी.ड.5 दामोदर ने अपने न्यायालय में हुए बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 27.03.2022 को थाना नारायणपुर में एफआईआर नंबर 101/16 में जब्त 96 पव्वे देशी शराब प्लास्टिक के थे जिनका न्यायालय की अनुमति से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 96 पव्वों में से एक पव्वा नमूना सैंपल के रूप में निकालकर शील्ड मोहर किया था शेष 95 पव्वों को जमीन व गढढा खोदकर दबाकर नष्ट किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी 10 उसके व गवाह रामकिलाण के सामने बनाया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि शराब नष्ट करते समय वह, रामकल्याण, थानाधिकारी नारायणपुर व आबकारी अधिकारी मौके पर थे। पव्वे प्लास्टिक के थे।

14. गवाह पी.ड.1 सुरेन्द्र जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने न्यायालय में हुए बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 23.05.2016 को वह थाना नारायणपुर में एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी ने एफआईआर नंबर 101/16 की पत्रावली मय फर्दात उसके जिम्मे वास्ते तफतीश की थी। दोहराने तफतीश उसने घटना स्थल का नक्शा मौका तस्दीक किया था। जो प्रदर्श पी 1 है। गवाहन विश्वनाथ

गुरजीमल, खेमचंद के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। जब्तशुदा नमूना सैम्पल मार्का ए को एफएसएल हेतु प्रयोगशाला कांस्टेबल हरभान को देकर भेजा था। जिसकी जमा की रसीद प्रदर्श पी 2, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, मुलजिम मनोज की आपराधिक रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है। वह दिनांक 23.05.16 को एचएम मालखाना के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी ने मुलजिम मनोज से जब्तशुदा देशी मदिरा शील्डशुदा अवस्था में मार्का ए व ए 1 जमा मालखाना करवाया था। जिनका उसने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 225 पर फर्दजब्ती के अनुसार माल मालखाने में जमा कर लिया था। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 5 है। बाद तफतीश मुलजिम मनोज कुमार पुत्र कैलाश उम्र 23 साल निवासी सुरजनपुर थाना नारायणपुर के विरुद्ध अपराध धारा 19/54 का जुर्म प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही थानाधिकारी को सुपुर्द कर दी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम से माल थानाधिकारी ने जब्त किया था। यह बात सही है कि खेमचंद, गुरजीमल व विश्वनाथ के बयान कम्प्यूटर से थाने पर उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। जब्तशुदा माल मार्का ए पर 225 मद नंबर अंकित किये थे। पव्वे को सफेद कपडे से पैक किया था। यह बात सही है कि मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला था।

15. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए साक्षीगण के साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जाए तो यह प्रकट होता है कि गवाह पी.डब्ल्यू 2 गुजरीमल व गवाह पी0ड0 4 खेमचन्द जो कि मौके के गवाह है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 23.05.2016 को थानाधिकारी विश्वनाथ के साथ गस्त ईलाका शाम 05.40 पीएम पर थाने से रवाना हुए थे। गस्त करते हुए नारायणपुर बाईपास पर पहुंचे तो थानाधिकारी को ईतल्ला मिली कि श्यामसरोवर के पास एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक के कटटे में देशी शराब रखकर किसी वाहन के इंतजार में खडा है। थानाधिकारी ने उक्त सूचना से उनको अवगत कराया और मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति सडक के पास प्लास्टिक के कटटे सहित दिखाई दिया जो पुलिस की जीप देखकर भागने लगा जिसको उक्त गवाहान ने पकडा और उसके पास मिले कटटे को चैक किया तो उसमें देशी मदिरा मार्का घूमर की दो गत्ता पेटी मिली जिनमें कुल 96 पव्वे प्लास्टिक के भरे हुए मिले। सभी का ढक्कन सील था। थानाधिकारी ने उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सूरजनपुर होना बताया। थानाधिकारी ने उससे देशी मदिरा अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस होना पूछा तो नहीं होना बताया। मनोज के कब्जे से मिले देशी शराब के पव्वों में से एक पव्वा बतौर नमुना सील निकालकर सील मोहर कर मार्का ए अंकित किया तथा शेष 95 पव्वों को उन्हीं गत्ता

पेटियों में रखकर प्लास्टिक के कटटे में रखकर सील मोहर करके मार्का बी अंकित करके शराब को जर्ये फर्द जब्त किया व मुलजिम मनोज को उसके सामने मौके पर ही जर्ये फर्द गिरफ्तार किया। जप्तशुदा शराब मार्का ए व बी तथा गिरफ्तारशुदा मुलजिम मनोज के वापस थाना आए जहां थानाधिकारी ने माल जमा मालखाना करवाया व मुलजिम को बंद हवालात करवाया तथा मुलजिम के विरूद्ध अपनी वापसी पर मुकदमा दर्ज किया। फर्द जप्ती देशी मदिरा प्रदर्श पी 02, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 है। उक्त गवाहान द्वारा अपनी जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अन्य गवाहों के द्वारा दिये गये कथनों में विरोधाभास उत्पन्न होता हो। उक्त गवाहान के द्वारा अपनी जिरह में मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों की ताईद की है।

16. अन्य गवाह पी0ड0 1 सुरेन्द्र जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है तथा गवाह पी0ड0 3 विश्वनाथ शर्मा जो कि प्रकरण में थानाधिकारी है। उक्त गवाहान द्वारा अपने न्यायालय के बयानों में गवाह पी0ड0 2 गुजरीमल व पी0ड0 4 खेमचन्द के कथनों के समान ही कथन कर ताईद की गई है। उक्त गवाहान द्वारा अपनी जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अन्य गवाहों के द्वारा दिये गये कथनों में विरोधाभास उत्पन्न होता हो। उक्त गवाहान के द्वारा अपनी जिरह में मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों की ताईद की है।

17. अन्य गवाह पी0ड0 5 दामोदर जो कि मालखाना इंचार्ज से संबंधित गवाह है, ने अपने बयानों में माल को न्यायालय के आदेश से नष्ट किये जाने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पंचनामा रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 की प्रमाणित प्रति से होती है तथा उक्त गवाह एफएसएल जमाकर्ता वाहक है के द्वारा उक्त जमा माल में से नमूने एफएसएल में जमा करवाने जिसकी पुष्टि प्राप्त रसीद से होती है तथा इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 3 जो कि एफएसएल रिपोर्ट है में मार्क ए में 50.47 यूपी ईथाइल एल्कोहॉल प्रमाणित पाया गया है। उक्त साक्ष्यों के खण्डन में अभियुक्त द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की सचेतन कब्जे से बरामदगी प्रमाणित है।

18. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह की गई आपत्ति की पत्रावली पर स्वतंत्र गवाह को गवाह नहीं बनाया गया है। सभी गवाह पुलिस गवाह हैं, के कारण जब्ती साबित नहीं है, के बाबत न्यायालय का मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्व ारा रविन्द्र, संताराम व सावंत बनाम महाराष्ट्र राज्य 2002 क्रिमिनल लॉ जनरल (S.C) 3239 में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिसकर्मियों की गवाही को भी अन्य गवाहों की गवाही के समान ही माना जाना चाहिए। कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि स्वतंत्र गवाह द्वारा पुष्टि किए जाने पर पुलिसकर्मियों की गवाही पर भरोसा नहीं किया

जा सकता। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि पत्रावली पर मौजूद सभी जाप्ते के गवाह एकराय होकर अभियुक्त के प्रकरण में लिप्तता बाबत् कथन कर रहे हैं व उक्त गवाहों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसे में मात्र निष्पक्षी साक्षी के बयानों के अभाव में संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही पर संदेह प्रकट किया जाना उचित नहीं है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह जाहिर हो कि अभियुक्त को प्रकरण में रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अतः केवल मात्र निष्पक्ष साक्षी के अभाव में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.05.2016 को समय करीब 06.20 पीएम या उसके लगभग मौजा श्याम सरोवर के पास, नारायणपुर में आपके अनन्य कब्जे से एक कटटे में से दो पेटी में घूमर ब्रांड देशी शराब के कुल 96 पव्वे देशी मदिरा, बरामद किए, जिनका आपके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया। अतः अभियुक्त मनोज को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

—::आदेश::—

19. अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सुरजनपुर थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0 को आरोपित अपराध धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
थानागाजी जिला अलवर

—::दण्ड व परिवीक्षा के बिन्दु पर सुना गया::—

20. अभियुक्त की प्रार्थना है कि उनका प्रथम अपराध है। पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2016 से विचारण भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे।

21. इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को कठोर दंड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

22. सुना गया। उभयपक्षों के तर्को का मनन किया व इस परिप्रेक्ष्य में आपराधिक परिवीक्षा के प्रावधानों का गहनता से अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र कैलाश निवासी सुरजनपुर थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि हेतु राशि 20,000/—रूपए (अक्षरे बीस हजार रूपए) का स्वयं का बंधपत्र तथा इसी राशि की एक मौतबिर जमानत एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करावे कि उक्त अवधि में परिशांति कायम रखेगा, पुनः अपराध कारित नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे।

23. परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर बतौर अभियोजन व्यय 1000/— रूपए (अक्षरे एक हजार रूपए) अधिरोपित किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील निस्तारित किया जावे। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
थानागाजी जिला अलवर

24. निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
थानागाजी जिला अलवर